न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
66 / 2021	11 / 08 / 2021	03 / 09 / 2025

मन्नालाल आत्मज रामनाथ जाति मीना निवासी बाडौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादी

वाद धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाडोली तहसील पीपल्दा में खसरा नम्बर 909 की 0.09 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जो राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक बजंड भूमि दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 पेश है। यह कि उक्त भूमि के पूर्व में सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने खसरा नम्बर 128 मिन की भूमि थी जिस पर प्रतिवादी द्वारा सेटलमेन्ट कार्य किया गया तथा खसरा नम्बर मिन 128 के नये खसरा नम्बर 263 की 0.09 हेक्टर भूमि कायम की जाकर वादी के खाते अन्य भूमियों के साथ दर्ज की गयी। नकल मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी सम्वत् 2041–60 पेश है। यह कि उक्त भूमि पर वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी के केचमेन्ट विभाग द्वारा भूसुधार कार्य किया गया जिस पर उक्त खसरा नम्बर 263 के नये खसरा नम्बर 909 की 0.09 हेक्टर कायम किया गया नकल फर्म मिलान केचमेन्ट सन् 2005–2006 पेश है। यह कि वाद कारण प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 909 की 0.09 हेक्टर भूमि को वादी के खात दर्ज न कर राज० सरकार के खाते दर्ज करने व दिनांक 1–7–21 को उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज नहीं करने की धमकी दी।

अ. यह है कि ग्राम बाडोली तहसील पीपल्दा की खसरा नम्बर 263 की 0.09 हेक्टर के बाद केचमेन्ट नये खसरा नम्बर 909 की 0.09 हेक्टर भूमि राज० सरकार के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते दर्ज की जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उसकी किस्म बजंड के स्थान पर नहरी प्रथम दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से वाद श्री इन्द्रजीत मीणा एड० ने पेश किया। रिपोर्ट सरिसता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि० किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार में बिन्दूवार रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. ग्राम बाडोली की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में ख०नं० 909 रकबा 0.09है० भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक बंजड भूमि दर्ज है।
2. उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व में पुराने ख०नं० 128 मिन की भूमि थी। मिलान क्षेत्रफल 2041–60 के अनुसार मिन 128 के नए ख०नं० 263 रकबा 0.09है० किस्म नहरी प्रथम कायम किए गए जो कि जमाबंदी संवत् 2041–60 के अनुसार वादी के खाते की अन्य भूमियों के साथ दर्ज की गई।
3. फर्द मिलान क्षेत्रफल केचमेंट ब्लॉक हरिपुरा बाडोली सन् 2005–06 में ग्राम बाडौली में भू सुधार कार्य किया। जिस पर उक्त ख०नं० 263 के नए ख०नं० 909 रकबा 0.06है० ख०नं० 910 रकबा 0.03है० बनता है। फर्द इख्तलाफ के

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

अनुसार वर्तमान ख0नं0 909 रकबा 0.09है0 गत ख0न0 263 रकया 0.06है0, ख0नं0 264 रकबा 0.02है0 व 262 रकबा 0.01है0 से मिलकर बना है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में ख0नं0 909 रकबा 0.09है0 सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है।

पत्रावली में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के कथनों व पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सांगोपाग अध्ययन करने पर कहीं पर भी ग्राम बाडौली वर्तमान ख0नं0 909 रकबा 0.09है0 पर वादी कब्जाकाश्त सिद्ध नहीं होता है। यदि वादी उक्त सिवायचक ख0नं0 पर अपने पूर्व ख0नं0 263 के अनुसार वर्तमान में ख0नं0 909 सिवायचक पर काश्त करता तो वादी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही भी होनी चाहिए थी जो कि पत्रावली के साथ उपलब्ध नहीं है एवं वकील वादी भी धारा 91 का कोई नोटिस/कार्यवाही प्रस्तुत नहीं कर पाये।

साथ ही तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में भी कही भी यह नहीं दर्शाया गया है कि आया वादी वर्तमान ख0नं0 909 पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पुराना ख0नं0 263 रकबा 0.09 का नया ख0नं0 909 रकबा 0.06है0 एवं ख0नं0 910 रकबा 0.03 बना है एवं फर्द इख्तलाफ के अनुसार वर्तमान ख0नं0 909 रकबा 0.09 गत ख0नं0 263 रकबा 0.09है0 में से रकबा 0.06है0 एवं ख0नं0 264 रकबा 0.02है0 एवं 262 रकबा 0.01है0 से मिलकर बना है।

जबकि वादी का पुराना ख0नं0 263 रकबा 0.09 था जिसमे से वर्तमान ख0नं0 909 में सिर्फ 0.06 रकबा ही शामिल है। पुराने ख0नं0 263 का शेष 0.03 रकबा कहा व किस ख0नं0 में मिला इस बाबत तहसीलदार की रिपोर्ट, वाद पत्र एवं वादी के विद्वान वकील कुछ भी स्पष्ट नहीं बता सके। वादी का अपने पुराने ख0नं0 263 के सम्पूर्ण रकबे का वर्तमान ख0नम्बरान पर विलय को सिद्ध नहीं कर पाने एवं वर्तमान ख0नं0 909 रकबा 0.09है0 पर कब्जा काश्त नहीं होने से वादी का वाद में ग्राम बाडौली के ख0नं0 909 रकबा 0.09है0 पर सिद्ध नहीं हो पाया है।

अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

डिकी मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
66 / 2021	11 / 08 / 2021	03 / 09 / 2025

मन्नालाल आत्मज रामनाथ जाति मीना निवासी बाडौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादी

वाद धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।
यह डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 03.09.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)